कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :   राँची :

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :– **झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् सिमडेगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत 132 के0भी0 डी0/सी0 कोलेबिरा–सिमडेगा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 22.6036 हे0 वनभूमि अपयोजन की स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव की समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र संख्या– FP/JH/TRANS/150631/2021/199, दिनांक 15.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 10 (दस) बिन्दुओं पर पृच्छा हुए दस्तावेजों/जानकारी अपलोड करने की मांग की गई है।

निदेशानुसार, अनुरोध है कि विषयक परियोजना प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा संबंधित पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध/अपलोड कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 355 ....   **दिनांक** 28/4/2026 ....

प्रतिलिपि :– झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–10/2026– 1729 व०प०, राँची, दिनांक– 07/05/26

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत सिमडेगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत 132/के0भी0 डी0सी0 कोलेबिरा –सिमडेगा T/L निर्माण हेतु कुल–22.6036 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार MoEF&CC, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/JH/TRANS/150631/2021/199 दिनांक–15.04.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा विषयक परियोजना में की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(चन्द्रशेखर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

सत्यमेव जयते

10

संख्या: FP/JH/TRANS/150631/2021/**199** दिनांक: 15.04.2026

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार,
नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय:- 132KV D/C कोलेबिरा-सिमडेगा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 22.6063 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक आपका पत्र संख्या-वन भूमि-10/2026-1166/व०प० दिनांक 24.03.2026 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

After examination of the proposal on the PARIVESH Portal, it has been observed that the following documents/information are still required to be uploaded / furnished:

i. Part-III and Part-V of Form-A of the proposal have not been uploaded on the PARIVESH Portal. Therefore, the same need to be uploaded.

ii. The PSC recommendation has not been uploaded on the PARIVESH Portal. Therefore, the same needs to be uploaded.

iii. A discrepancy has been observed between the estimated project cost mentioned in the online Part-I and that indicated in the uploaded Cost-Benefit Analysis. Hence, the same needs to be rechecked and corrected.

iv. The KML file of the alternate alignment, clearly demarcating forest land and non-forest land, has not been uploaded. Therefore, the same is required to be uploaded along with the toposheet map and DGPS map of the alternate route.

v. As the proposed route crosses the highway, the No Objection Certificate (NOC) from NHAI / RCD / PWD is mandatory prior to the issuance of Stage-I approval.

vi. As per the DSS analysis, it appears that the proposed forest land for diversion may have already been encroached upon / violated by the User Agency. If so, the matter must be taken into cognizance at the earliest, and a complete Action Taken Report in this regard may be uploaded / submitted to this office, along with an explanation as to why the Forest Department could not detect the violation while processing the application.

सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 1867
16 APR 2026

vii. The comments of the State Forest Department, Nodal Office (FC), as well as the concerned DFOs regarding the actual tree felling and the number of trees proposed to be trimmed for the project, have not been submitted. The requisite details in this regard may be uploaded.

viii. The opinion of the CWLW has not been uploaded on the PARIVESH Portal, whereas the DFO has recommended the proposal along with a site-specific Wildlife Management Plan. Hence, the same needs to be uploaded.

ix. The proposed alignment of the transmission line intersects the Eco-Sensitive Zone (ESZ) of Palkot Wildlife Sanctuary at Biru and Bhawarpahar. Therefore, specific comments of the State Forest Department (SFD) in this regard are required to be uploaded.

x. The undertaking / comments of the User Agency regarding the implementation of the site-specific Wildlife Management Plan are also required to be uploaded.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

विश्वासभाजन

15/4/26

(शशि शंकर)
उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची ।

e No. FP/JH/TRANS/150631/2021 (Computer No. 296800)
enerated from eOffice by ANAND PRAKASH, TO(AP)-FC(ECZ), TECHNICAL OFFICER, RO-ECZ on 15/04/2026 06:05 pm